भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2817

जिसका उत्तर 20 दिसंबर, 2023 को दिया जाना है

फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी परियोजनाएं

2817. श्रीमती जसकौर मीनाः

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी (एफएमसी) परियोजनाओं की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) राजस्थान में उक्त परियोजना के अंतर्गत स्वीकृत, आबंटित और उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा को मूर्त रूप देने के लिए भारत के ऊर्जा क्षेत्र का विस्तार करने हेतु कोयला उत्पादन हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

संसदीय कार्य, कोयला एवं खान मंत्री

(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) : फर्स्ट माइल परियोजनाएं न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप के साथ रेलवे रेकों में कम्प्यूटरीकृत लोडिंग के साथ खान से प्रेषण बिन्दु तक कोयले की निर्बाध आवाजाही को सुगम बनाती हैं, ट्रैफिक संकुलन और सड़क दुर्घटनाओं को समाप्त करती हैं और इस प्रकार कोयला खनन परियोजनाओं के आस-पास पर्यावरण तथा स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को कम करती हैं।

(ख) : राजस्थान में कोई एफएमसी परियोजना कार्यान्वित नहीं की गई है/कार्यान्वित नहीं की जा रही है।

(ग) और (घ) : वर्ष 2023-24 के लिए अखिल भारतीय कोयला उत्पादन लक्ष्य 1012.14 मिलियन टन निर्धारित किया गया है।

(ङ) : घरेलू कोयले की मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं

i. नई कोयला खान परियोजनाओं को खोलना और मौजूदा परियोजनाओं का विस्तार।
ii. कोयला ब्लॉकों के विकास में तेजी लाने के लिए कोयला मंत्रालय द्वारा नियमित समीक्षा।
iii. कैप्टिव खान स्वामियों (परमाणु खनिजों को छोड़कर) को खान के साथ संबद्ध अंत्य उपयोग संयंत्र की आवश्यकता को पूरा करने के बाद ऐसी अतिरिक्त राशि का भुगतान करने पर केंद्र सरकार द्वारा यथा निर्धारित पद्धति से खुले बाजार में अपने वार्षिक खनिज (कोयला सहित) उत्पादन का 50% तक विक्रय करने में सक्षम बनाने के लिए खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2021 का अधिनियमन।
iv. कोयला खानों के प्रचालन में तेजी लाने के लिए कोयला क्षेत्र के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस पोर्टल।
v. कोयला खानों के शीघ्र प्रचालन के लिए विभिन्न अनुमोदन/मंजूरियां प्राप्त करने के लिए कोयला ब्लॉक आवंटितियों की सहायता हेतु परियोजना निगरानी इकाई।
vi. राजस्व शेयरिंग कार्यतंत्र पर वाणिज्यिक खनन के लिए कोयला ब्लॉक की नीलामी 18.06.2020 को शुरू की गई थी। वाणिज्यिक कोयला खनन के नियम और शर्तें बहुत उदार हैं, जिसमें कोयले के उपयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं है, नई कंपनियों को बोली प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति है, अग्रिम राशि में कमी की गई है, मासिक भुगतान के लिए अग्रिम राशि का समायोजन, कोयला खानों के प्रचालन के लिए लचीलेपन को बढ़ावा देने हेतु उदार दक्षता मानदंड, पारदर्शी बोली प्रक्रिया, ऑटोमैटिक रूट के माध्यम से 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) और राष्ट्रीय कोयला सूचकांक पर आधारित राजस्व शेयरिंग मॉडल।
vii. वाणिज्यिक खनन स्कीम के तहत, उत्पादन की निर्धारित तारीख से पहले उत्पादित कोयले की मात्रा के लिए अंतिम प्रस्ताव पर 50% की छूट की अनुमति दी जाएगी। इसके साथ-साथ, शीघ्र उत्पादन शुरू करने के लिए कोयला गैसीकरण या द्रवीकरण पर प्रोत्साहन (अंतिम प्रस्ताव पर 50% की छूट) दिया गया है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, कोयला कंपनियों ने घरेलू कोयला उत्पादन में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित कदम भी उठाए हैं:

I. कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) ने सभी आवश्यक संसाधनों जैसे पर्यावरण मंजूरी/वन मंजूरी, भूमि अधिग्रहण और कोल हैंडलिंग प्लांट (सीएचपी)/साइलो के जरिए मशीनीकृत लोडिंग जैसी निकासी अवसंरचनाओं, रेल परियोजनाओं आदि को पूरा करने हेतु पहचान कर ली है और कार्रवाई शुरू कर दी है ताकि परियोजनाएं 1 बि.ट. उत्पादन योजना के अनुसार अपने लक्ष्य में योगदान देने में सक्षम हो सकें।

II. सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) ने 67 मि.ट. के वर्तमान स्तर से वर्ष 2023-24 तक 70 मि.ट. उत्पादन करने की योजना बनाई है। नई परियोजनाओं को स्थापित करने तथा मौजूदा परियोजनाओं के प्रचालन के लिए नियमित रूप से संपर्क किया जा रहा है। एससीसीएल ने कोयले की निकासी के लिए सीएचपी, क्रशर, मोबाइल क्रशर, प्री-वे बिन्स आदि जैसी अवसंरचना के विकास के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है।

****